दिनांक 23.05.2022 को जिला उद्योग मित्र की बैठ्क हेतु एजेण्डा नोटः–

दिनांक 27.04.2022 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र बैठ्क में लंबित निम्न बिन्दुओं पर विचारः–

क्र.सं.	बैठ्क हेतु बिन्दु	सम्बन्धित विभाग	कार्यवाही
1.	33/11 के.वी. उपसंस्थान कोटाबाग से निकलने वाले नये पोषक कोटाबाग से सौनजाला तक 1.2 कि.मी. लाईन बनाने के कार्य के सम्पादन हेतु प्रशासनिक/पुलिस सहायता उपलब्ध कराये जाने विषयक।	उप जिलाधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, कालाढूंगी।	
2.	सोप स्टोन व्यवसायियों की वैट से सम्बन्धित लंबित मूल धनराशि को 12 वर्षों की समान मासिक किश्तों में जमा कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 993 दिनांक 31.12.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने विषयक।	उपायुक्त राज्य कर, काठगोदाम।	
3.	लीसा इकाईयों द्वारा लीसे का मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत अथवा 12.5 प्रतिशत होने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने विषयक।	उप निबन्धक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, हल्द्वानी।	

4.	मैसर्स तेजल ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज, कठघरिया हल्द्वानी की इकाई को कब्जा मुक्त किये जाने विषयक।	क्षेत्रीय प्रबन्धक/लीड बैंक अधिकारी एवं शाखा प्रबन्धक।	इकाई के पक्ष में राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत निवेश उपादान सहायता बजट प्राप्त होने के उपरान्त शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, लोहरियासाल तल्ला, हल्द्वानी को कार्यालय पत्रांक 296 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से धनराशि रुपया 2716274.00 के समतुल्य परिसम्पत्तियों यथा भवन एवं मशीनरी का द्वितीय चार्ज उपलब्ध कराये जाने हेतु द्वितीय चार्ज का प्रारूप प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा लोहरियासाल तल्ला, हल्द्वानी द्वारा अपने ई-मेल दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा-14 में दिनांक 11.01.2022 को दिये गये आदेश को अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया था। उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश को सरफेसी के नियमों में न आना बता कर, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार बैंक ने सरफेसी एक्ट की धारा-14 में दिनांक 11.01.2022 को दिये गये के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
5.	ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर रोड हल्द्वानी से लगी इकाईयां भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु आगणन तैयार करने विषयक।	अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड), लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।	इस सम्बन्ध में अधि0अभि0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 हल्द्वानी अपने पत्रांक 1010 दिनांक 06.05.2022 द्वारा संबंधित सड़क के कार्य का आगणन रु0 82.51 लाख गठित कर, जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय को उपलब्ध कराया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, तत्संबंधी कार्य के आगणन की स्वीकृति लो0नि0वि0 के उच्चाधिकारियों को स्वीकृति हेतु अधि0अभि0 कार्यालय द्वारा स्वयं प्रेषित की जानी है। इस संबंध में अनुरोध है कि यथाशीघ्र आगणन अपने स्तर से अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित एवं स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

6.	*श्री उमेश चन्द्र डालाकोटी की देवलचौड़ बन्दोबस्ती रामपुर रोड हल्द्वानी स्थित इकाई के समीप सिंचाई विभाग की नहर पर पुलिया निर्माण हेतु आगणन तैयार करने विषयक।*	*अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हल्द्वानी।*	*अधि0अभि0 सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 777 दिनांक 04.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 859 दिनांक 22.06.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आवेदक को पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप प्राक्कलन की स्वीकृत धनराशि आवेदक/इकाई स्वामी को विभागीय खाते में जमा करनी होगी, तत्पश्चात् पुलिया का निर्माण विभाग द्वारा किया जा सकेगा। अधि0अभि0 सिंचाई ने संबंधी आगणन की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।*
7.	*ग्राम हरिपुर जमनसिंह स्थित मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड कैमिकल फैक्ट्री एवं अन्य इकाईयों में पेय जल संकट होने विषयक।*	*अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान हल्द्वानी/उत्तराखण्ड पेयजल निगम निर्माण शाखा, भीमताल।*	*इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पेय जल निगम भीमताल द्वारा अपने पत्रांक 1341 दिनांक 27.04. 2022 द्वारा उक्त ग्राम हेतु संचालित योजना को दिनांक 19.01.2021 को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तांतरित किया गया है। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्रांक 986 दिनांक 27.04.2022 द्वारा बताया गया है कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत ग्राम हरिपुर मोतिया, उत्तराखण्ड पेय जल निगम, भीमताल को आवंटित है। जिसमें निगम द्वारा नलकूल का निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी किया गया है, जिसके अन्तर्गत पेय जल आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु उत्तराखण्ड पेय जल निगम से जल संयोजन प्राप्त करना होगा।*

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र,
हल्द्वानी (नैनीताल)।